

क्रियान्वित किये जाने के पूर्व इस प्रपत्र पर कलेक्टर के कार्यालय से रु०.....के स्टाम्प लगाने चाहिए अथवा उतने ही मूल्य के न्यायिकेतर (नान ज्यूडिशियल) स्टाम्प पर इसकी शब्दावली लिखनी चाहिए ।

चूंकि भारतीय जीवन बीमा निगम जिसकी स्थापना 1965 के जीवन बीमा निगम अधिनियम 31, के द्वारा हुई है (तथा जिसे आगे "निगम" कहा गया है) के द्वारा

(बीमेदार का नाम)

के जीवन पर पालिसी सं.....रुपये.....के लिये दिनांक.....को
जारी की गई थी और चूंकि उपरोक्त पालिसी सं.....समनुदेशन दस्तावेज दिनांक.....जो.....
के पास थी या खो गई/गया है अथवा गलत जगह रखी गई/गया है, और चूंकि उक्त निगम
(पालिसी धारक का नाम)

उस पालिसी का मूल्य रुपये.....श्री.....(प्राप्तकर्ता का/के नाम)

को भुगतान करने को इस आधार पर सहमत हो गया है कि सर्वश्री.....(प्राप्तकर्ता एवं प्रतिभू)

निगम के साथ आगे लिखे अनुसार प्रतिज्ञाबद्ध हो जायेंगे । अतः अब यह दस्तावेज इस बात का साक्षी है कि उपरोक्त इकारारनामे के अनुसार तथा इस बात को ध्यान में रखकर कि निगम इस दस्तावेज के क्रियान्वित किये जाने पर उपरोक्त श्री.....को पालिसी का मूल्य भुगतान कर देगा, जिसकी प्राप्ति एतद द्वारा
(प्राप्तकर्ता का/के नाम)

स्वीकृत की जाती है) उक्त.....निगम उसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशतियों
(प्राप्तकर्ता तथा प्रतिभू)

के साथ प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि वे.....स्वयं उसके/उनके उत्तराधिकारी
(प्राप्तकर्ता तथा प्रतिभू)

कारिन्दे तथा प्रशासक निगम एवं उसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशतियों को समय-समय पर तथा सदैव सभी प्रकार की कार्यवाहियों, मुकदमों, व्यय दावों एवं किसी भी प्रकार की मांग से बचायेंगे, हानिरहित रखेंगे और उसकी क्षति की पूर्ति करेंगे जो निगम उसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशतियों के विरुद्ध किन्हीं व्यक्ति /व्यक्तियों के द्वारा मूल पालिसी सं.....के दस्तावेज पर कब्जा होने के कारण अथवा उसमें उत्तिलिखित किसी उल्लेख के द्वारा हकदार होने के कारण उत्पन्न होंगे । उपरोक्त की साक्षी में उक्त.....(प्राप्तकर्ता एवं प्रतिभू)

.....ने आज दिनांक.....को.....(स्थान)

में हस्ताक्षर किये ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में :-

1.....प्राप्तकर्ता

2.....प्राप्तकर्ता

द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और सुपुर्द किया ।

प्रतिभू

हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. साक्षी के पूरे हस्ताक्षर.....

1.....

पद.....

(प्राप्तकर्ता)

पता.....

2.....

(प्राप्तकर्ता)

2. साक्षी के पूरे हस्ताक्षर.....

3.....

(प्राप्तकर्ता)

पद.....

पद.....

पता.....

टिप्पणी :-यदि इस प्रसंविदा (करारनामे) पर हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हस्ताक्षर किये जाते हैं तो साक्षियों में से एक को प्रमाणित करना होगा कि प्रपत्र के संदर्भ, हस्ताक्षरकर्ता को उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा.....में क्रियान्वयन के पूर्व समझा दिये गये हैं ।